निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 92 / 2024
दायरा दिनांकः–23.07.2024
निर्णय दिनांकः– 3.12.24

उनवान

1. मनोज आयु 28 वर्ष पुत्र छतरलाल जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कल्ला पुत्र प्रभुलाल जाति मीना
2. मिश्रीलाल पुत्र अमरलाल जाति मीना निवासीगण ग्राम बालापुरा तहसील व थाना छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 3.12.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के संयुक्त खाते की आराजी खाता संख्या 303 खसरा नम्बर 576 रकबा 13.0117 हैक्टयर भूमि वाके माल निपानियां पटवार हल्का निपानियां तहसील छबड़ा में स्थित है। वादी एंव प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से 1/3, 1/3.1/3 पर पर काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु सीमाज्ञान एव पत्थर गढी व राजस्व रिकार्ड मे बंटवारा नही होने के कारण वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य सीमा का विवाद आये दिन होता रहता है। तथा आये दिन प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की आराजी की मेड तोड़कर हाकने जोतने का प्रयास करते है इस बात को लेकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य कई बार विवाद होता रहता है। आये दिन होने वाले विवाद को खत्म करने को लेकर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य अपने अपने हिस्से एंव कब्जा अनुसार बंटवारा होना अत्यत आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 10/07/2024 को उत्पन्न हुआ जब वादी अपने कब्जे व हिस्से की आराजी 1/3 पर हकाई जुताई कर रहा था तो प्रतिवादीगण 1 व 2 ने सीमा को लेकर विवाद खड़ा कर दिया तथा वादी के साथ मारपीट व गाली गलोच करने पर आमादा हुये। प्रतिवादीगण प्रतिवर्ष वादी को इसी तरह से परेशान कर वादी की भूमि पर कब्जा करना चाहते है इस कारण से विवाद करते रहते है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजुद सूचना

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 303 फोटो प्रति आधार कार्ड पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 मनोज के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/3 दर्ज है जिस पर काश्त करता चला आ रहा है राजस्व रिकार्ड में बटवारा नही होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सीमा का विवाद होता रहता है तथा प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि की मेड तोडकर जबरन कब्जा करने पर आमादा है वादी एवं प्रतिवादीगण के आपसी विवाद को समाप्त करने को लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अपने–अपने हिस्से एवं कब्जा अनुसार कराना आवश्यक है। वादी का वाद स्वीकार कर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार कब्जा को ध्यान में रखतें हुए बटवारा किया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 303 के अनुसार कल्ला पुत्र प्रभुलाल हिस्सा 1/3 मनोज पुत्र छतरलाल हिस्सा 1/3 मिश्रीलाल पुत्र अमरलाल हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है विवादित आराजी में वादी का हिस्सा 1/3 दर्ज है जिसे वादी पृथक–पृथक विभाजन कराना चाहता है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया। प्रस्तुत नकल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से यह साबित होता है कि वादी का हिस्सा 1/3 है जिसे वादी पृथक–पृथक विभाजन कराने का अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 576 रकबा 13.0117 है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी भूमि का पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 92/2024	धारा 53, 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 03.12.224
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री अजय कुमार श्रीवास्तव–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. मनोज आयु 28 वर्ष पुत्र छतरलाल जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कल्ला पुत्र प्रभुलाल जाति मीना
2. मिश्रीलाल पुत्र अमरलाल जाति मीना निवासीगण ग्राम बालापुरा तहसील व थाना छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 576 रकबा 13.0117 है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी भूमि का पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 03.12.2024 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

		व्ययानुतोष	
		वादी	प्रतिवादी
क्र.सं.	व्यय मद		
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 92/2024	धारा अन्तर्गत 53,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 29.1.25
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः—श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	अभिभाषक प्रतिवादीः—	

वाद शीर्षक

उनवान

1. मनोज आयु 28 वर्ष पुत्र छतरलाल जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कल्ला पुत्र प्रभुलाल जाति मीना
2. मिश्रीलाल पुत्र अमरलाल जाति मीना निवासीगण ग्राम बालापुरा तहसील व थाना छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:—

विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा का पक्षकारान के मध्य पृथक—पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकवा	लगान	दिशा
1. मनोज पुत्र छतरलाल जाति मीना सा0देह बालापुरा रहन BRKGB शाखा छबडा	576	4.3372	26.72	मध्य
	किता 1	4.3372 है	26.72	—
2. कल्ला पुत्र प्रभूलाल हिस्सा 1/3 जाति मीनाा सा0देह रामपुरिया रहन SBI (ADB) छबडा	576/1	4.3372	26.71	पूर्व
	किता 1	4.3372 है0	26.71	—
3. मिश्रीलाल पुत्र अमरलाल हिस्सा 1/3 जाति मीना सा0देह बालापुरा रहन SBI (ADB) छबडा शाखा	576/2	4.3373 है0	26.72	पश्चिम
	किता 1	4.3373 है0	26.72	—

उपरोक्तनुसासर विवादित आराजी पक्षकारान के मध्य पृथक—पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जात है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 29.1.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		